



चलो चलाएँ
शिक्षा गुणवत्ता अभियान
और बढ़ाएँ
हम अपना सम्मान

Attended
29/04/2024
2

Principal
K.D. Public School
Durg (C.G.)




मोहन - कोरवी



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-दुर्ग (छ.ग.)
के.डी. पब्लिक स्कूल, नीनासी नगर
कोरवी, दुर्ग

विद्यालय मान्यता प्रमाण-पत्र

दिनांक - 08/10/2021 से 02/10/2024



सामान्य जिला शिक्षा अधिकारी, दम (र.ग.)

पत्रांक / 2023-24 / मासिका / 2021

दि. विसाय 05/10/2024

पिन

पदचय: सर्जेंट दम विभाग समिति
ज्ञान व विवेक - 09294

विषय: शिक्षक और अध्यापक ज्ञान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रायोजन के लिए, नि:शुल्क और अध्यापक ज्ञान शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 के विषय में। के उप-नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मासिका प्रमाणा - पत्र।

महादय / महादय,

आपके आवेदन पत्र की तारीख 17/10/2024 के सदर में आर इस संबंध में विद्यालय के माह प्रस्तावतकी पत्राचार/निरीक्षण के उपलक्ष में फेरी प्रथमिक विद्यालय, मीनापी तार, मोरसी 57 (विद्यालय का नाम पता सहित) को तारीख 08/10/2024 से 02/10/2024 तक तीन बचों की अवधि के लिए खड़ा किया गया है। 08/10/2024 के लिए अवगत मासिका प्रदान करने की संसूचना देना है।

उपरोक्त मासिका रिजिस्ट्रार/ज्ञान शिक्षा के पुरा नियम के अधीन है।

विद्यालय की अधिनियम विद्यमानता की जांच और तस्से किसी भी रूप में किताब आरती के संस्करण मासिका / संस्करण करने के लिए कोई बाधना विद्यमान नहीं है।

2. विद्यालय, नि:शुल्क और अध्यापक ज्ञान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (परिष्कार-एक) और नि:शुल्क और अध्यापक ज्ञान शिक्षा का अधिकार नियम 2009 (परिष्कार-दो) के उपबंधों का पालन करेगा।

3. विद्यालय, कक्षा एक में (या पश्चात्थति वसंती कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों की संख्या के 25/ प्रतिशत तक आस-पड़स के कमजोर बच्चों और सुविधा विहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अध्यापक प्रार्थमिक शिक्षा उसके पुरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा। परंतु यह आर भी कि एक प्रार्थमिक कक्षाओं के मामलों में भी दूर मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

4. पत्रा 63 में निर्दिष्ट बच्चों के निरा विद्यालयों को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। गरी प्रतिपूर्ति का प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5. सांसाधनी/विद्यालय किसी भी प्रकार के शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके भाता/पिता या सरदार का किसी भी प्रकार के प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय, किसी बच्चे को उसकी आयु का अनुमति न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय रिजिस्ट्रार/ज्ञान शिक्षा के अधीन रहेगा।

7. प्रवेश नियम गरी किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रार्थमिक शिक्षा पुरा होने तक किसी कक्षा में पेश नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय में विद्यमान नहीं किया जाएगा।

8. किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मारपीत उन्नीय के अधीन नहीं किया जाएगा।

9. प्रार्थमिक शिक्षा पुरा होने तक किसी भी बच्चे से कोई दंड नहीं लिया उन्नीय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

10. प्रार्थमिक शिक्षा पुरा करने वाले प्रत्येक बच्चे का विषय 25 व अधीन अधिनियम कि। मा। अनुसार एक प्रमाणा पत्र प्रदान किया जाएगा।

11. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नि:शुल्क/विशेष आवश्यकता को ध्यान विद्यालयों को प्रवेश दिया जाएगा।

12. अध्यापकों को नती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन वया अधिनियम पालन अधिनियम के साथ की जाती है परंतु यह आर भी कि विद्यमान अध्यापक/विशेष माह आर अधिनियम के प्रायोजन के अनुसार उन्नीय नहीं है। 65 बच्चों की अधिनियम के अंतर्गत उन्नीय प्रायोजन अधिनियम के अंतर्गत करेगा।

13. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन रिजिस्ट्रार/ज्ञान शिक्षा के पुरा करने का पालन करेगा, और अध्यापक स्वयं को किसी निरीक्षण अध्यापक क्रियाकलापों में निरागत नहीं करेगा।

14. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकाधिक पाठ्यकर्ता के आश्रय पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

15. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में पश्चात्थति विद्यालय के आधकों और विद्ययों को बनाये रखेगा। अंतिय निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई सुविधाएं विद्यमान है :-

| | |
|--|--------------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | 914.26.00 वर्ग मी |
| कुल निर्मित का क्षेत्रफल | 10160.60 वर्ग मी |
| खेल के मैदान का क्षेत्रफल | 8135.50 वर्ग मी |
| कक्षाओं की संख्या | 20 ब्लॉक, 01 ब्लॉक |
| प्रधानपाठक सह-कार्यालय सह-भण्डार के लिए कक्ष | 04 कक्ष |
| बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | 20 टॉय |
| पेयजल सुविधा | वाटर क्लियर |
| मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई | |
| साधारणतः पढ़ने के | 5 |

अध्यापक पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूल के उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता :-

16. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मासिका प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाने जायेंगी। विद्यालय स्वयं को या अन्य संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

17. विद्यालय की सासाधनी रिजिस्ट्रार अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रिजिस्ट्रार किसी सासाधनी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकव्यास द्वारा चलाना जा रहा है।

18. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के साथ के लिये नहीं चलाना जा रहा है।

19. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चाटई एकाउन्टे द्वारा समपरीक्षा की जाती चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, विषयों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

20. आपके विद्यालय को आरंभित मासिका कोड संख्या: 101/2024/05 है। कृपया इसे नोट कर लें और दम कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिए इस संख्या के साथ उल्लेख करें।

21. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा विभाग/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मासिका संबंधी ज्ञानों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाएं।

22. सासाधनी के रिजिस्ट्रार का हकीमीकरण छवि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाए।

23. सतत परिचित नों के अनुसार अथवा कोई नती।

जिला शिक्षा अधिकारी